



Atul Ltd

Atul 396 020, Gujarat, India
legal@atul.co.in | www.atul.co.in
(+91 2632) 230000

January 03, 2024

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001
BSE Listing portal
SCRIP CODE: 500027

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
“Exchange Plaza” C – 1, Block G
Bandra Kurla Complex Bandra (East)
Mumbai – 400 051
NEAPS portal
SYMBOL: ATUL

Scrip code ID for Buy-back	
BSE: 544024 ATUL7	NSE: ATUL-BO

Dear Sirs,

Sub.: Filing of Post Buy-back Public Announcement pursuant to provisions of Regulation 24(vi) of the SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (“Buy-back Regulations”) and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: Buy-back of equity shares of Atul Limited (the “Company”)

Pursuant to provisions of Regulation 24(vi) of the Buy-back Regulations, the Company has published the Post Buy-back Public Announcement dated January 02, 2024 in the Financial Express- English (All Editions), Janasatta - Hindi (All Editions) and Financial Express – Gujarati (Ahmedabad Edition) on January 03, 2024.

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith newspaper e-clippings of the Post Buy-back Public Announcement.

You are requested to kindly take the same on records.

For Atul Limited

Lalit Patni
Company Secretary and
Chief Compliance Officer

Encl.: as above

Registered office: Atul House, G I Patel Marg, Ahmedabad 380 014, Gujarat, India
CIN: L99999GJ1975PLC002859



Lalbhai Group

ECHOES CONCERNS OF TELCOS & TECH FIRMS

Direct-to-mobile tech: DoT arm flags adoption hurdles

JATIN GROVER
New Delhi, January 2

THE TELECOMMUNICATION ENGINEERING Centre (TEC) has flagged challenges that could crop up in the implementation of direct-to-mobile (D2M) technology, which would pave the way for streaming television content directly to mobile phones without an internet connection.

This comes amid strong opposition to the government's proposal for D2M by technology companies like Qualcomm, Samsung, Ericsson, Nokia as well as telecom operators. TEC has said the integration of smartphones that support D2M and digital terrestrial TV to mobile devices (DTT2M) technologies remains a big challenge.

In its second version of the technical report on the subject "direct broadcasting to mobile handheld devices", TEC has pointed out that the implementation of D2M technology such as Advanced Television Systems Committee (ATSC) 3.0, also known as NextGen TV, might require a new nationwide network for indoor coverage for quality services, which would be complex.

Besides, its implementation would involve higher costs for smartphone makers and will increase the pricing of phones, some stakeholders said in their responses to con-

CAUSE FOR CONCERN

Smartphones that support D2M and digital terrestrial TV to mobile devices (DTT2M) technologies is a big challenge

Implementation of D2M could require a new nationwide network, which would be complex



D2M tech would need a standard compatible with existing mobile handsets

The technology is still in its early stages, so stakeholders feel it can't be mandatory

It would involve higher costs for smartphone makers, which could jack up phone prices

As of today, no mobile devices are available for any of these broadcasting technologies or standards anywhere.

sultation on the subject. The DoT body also flagged challenges with regard to the availability of a handset ecosystem, scalability of D2M technology, business viability and opportunities and spectrum requirements.

"There is consensus now that the success of these approaches relies on the ability to enable this service in mobile devices, more specifically, a smartphone or a tablet. The success of this adoption will further be constrained on how the ecosystem of devices will be created in open-market, low-cost smartphones," TEC said in a report after consultations.

The DoT body, however, said a standard compatible with existing mobile handsets would be required for D2M technol-

ogy, as it would offer cost-effectiveness and also leverage existing ecosystem support.

By an appropriate and compatible standard, TEC means a framework and protocol that will help in offloading broadcasting traffic over phones, and on the basis of which smartphones can be designed and manufactured to directly receive broadcast signals.

The government's intention behind D2M technology is to explore convergence of broadcasting and broadband services. Through the technology, users can receive terrestrial digital TV content directly on their handsets. The concept is similar to FM radio on phones, wherein phones can tap into radio frequencies.

As of today, no mobile devices are available for any of these broadcasting technologies or standards anywhere.

The technology can possibly be used to directly broadcast citizen-centric information such as issue of emergency alerts, public safety messages, social services, among other things. Using D2M, telcos can also offload traffic, especially video content, to broadcasting network, thereby reducing congestion, experts said.

As of today, no mobile devices are available for any of these broadcasting technologies or standards anywhere.

In fact, countries like the USA, Brazil, Mexico and Canada among others are running trials for D2M technology.

During consultation over the subject, both telcos and technology companies flagged concerns on government's approach to implement D2M in a hasty manner. The argument of the stakeholders was that since the technology is in early stages, it should not be mandated for devices to comply with that. Telcos also flagged concern over potential loss of revenues from the data business, in case the mobile picks up signals from the D2M technology in use.

"The ability by which the D2M/DTT2M operator, based on the technology adopted develops the devices ecosystem and then broadcasts to the tens of millions of open market mobile devices will eventually define the success of D2M in India," TEC said.

Mirri had spearheaded Hershey's expansion in markets such as Australia.

Geetika Mehta named MD of Nivea India

FE BUREAU
Mumbai, January 2

NIVEA INDIA HAS named Geetika Mehta as its managing director. She joins the German skincare brand from Hershey India, where she was managing director for 2.5 years.

Mehta has over two decades of experience in the FMCG sector, of which 18 years were spent in commercial and consumer marketing roles at Hindustan Unilever.

Mehta said, "As we navigate the ever-evolving skincare landscape, my focus will be on driving innovation, enhancing customer experiences and solidifying Nivea's position as the skincare brand of choice for millions of Indians."

Luigi Mirri to take over as GM of Hershey India The Hershey Company, announced that effective from January 1, Luigi Mirri will be the general manager for India, while continuing to serve in his role as general manager for the APAC region.

Mirri had spearheaded Hershey's expansion in markets such as Australia.

FMCG firms get a flurry of GST demand notices

VIVEAT SUSAN PINTO
Mumbai, January 2

NESTLE INDIA AND Asian Paints joined an increasing list of fast-moving consumer goods (FMCG) companies to receive tax notices for discrepancies in payment of Goods & Services Tax (GST) for FY17-18.

On Tuesday, Nestle said in an exchange filing that it had received a tax demand notice for ₹15.01 lakh from the Commissioner of State Tax, Patliputra, central Bihar, for FY17-18.

The tax authority had also levied a penalty of ₹1.5 lakh on the company, in addition to applicable interest for the period, Nestle India said.

Asian Paints, meanwhile, said on Tuesday it had received three orders for GST demand, totalling ₹2.07 crore from the Andhra Pradesh tax authority. The total amount includes interest and penalties. This follows a notice on Monday from Chennai authorities.

Monday also saw Hindustan Unilever (HUL), the country's largest FMCG company, disclose that it had received five notices amounting to ₹447 crore from five different states.

All the companies said there was no material impact on financial, operations or other activities due to the notices. Nestle and HUL also said they would challenge the orders before the appellate authority.

Indirect tax experts say



that there could be a flurry of tax notices in the months ahead, as the deadline for filing orders for mismatch in tax payment, wrongful availing of tax credits and discrepancies in tax returns filed for FY19 and FY20 lapses on April 30 and August 3 respectively.

"GST is a new tax regime and there will be different positions that companies and tax authorities will take with respect to transactions in the initial years of its implemen-

ation. The tax notices that have been issued of late are for the 2017-18 financial year, whose deadline for filing orders, which are basically show-cause-cum-tax-demand notices, lapsed on December 31, 2023," said Sohrab Bararia, partner, tax at Grant Thornton Bharat, said.

"There will be more tax notices as tax authorities scrutinise transactions and returns for the next two years," he says.

Last week, Dabur India received a tax demand notice of ₹61.89 lakh by the senior joint commissioner, state tax, LTU, West Bengal, which was the second notice for the company in three months.

In October, the company had received a ₹320.6 crore tax demand notice from the Directorate General of Goods & Services Tax Intelligence, Gurugram unit.

भारतीय कंटेनर लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
एक नवतंत्र कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
NSC New WOSP Building 3rd Floor, Chhatra Ind. Estate Opp. NSC Delhi Metro Station, New Delhi-110029

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)
Online Open E-Tender cum Auction in web bid system for leasing out Three (3) Warehouse Space (80700 Sq. ft. x 03 Nos.) on Long Term basis at CDD/Dadri.

Tender No. CON/Area/TCWH/Lease/DER/2024
Name of Work: Leasing Out Three (3) Warehouse Space on Long-Term Basis at CDD/Dadri (L.P.)
Period of the contract: Fifteen (15) years
Bid/Reserve Price: Rate for Lease Rent shall be quoted equal or above the reserve price of ₹25/- per sq.ft. per month for each warehouse.
Earnest Money Deposit: ₹2,50,000/- for each Warehouse.
Cost of Document: ₹1,00,000/- Inclusive of all taxes and duties through e-payment.
Tender Processing Fee: ₹4,720/- Inclusive of all taxes and duties (Non-refundable)
Date of Sale (Online): From 01.01.2024 at 15:00 hrs. to 23.01.2024 (upto 15:00 hrs.)
Pre-Bid Meeting: On 10.01.2024 at 15:00 hrs.
Compendium upload (if any): On or before 15.01.2024 on www.tenderindia.com/CCIL only.
Last Date & Time of submission: On 24.01.2024 upto 15:00 hrs.
Date & Time of Opening: On 25.01.2024 at 15:00 hrs.

*Through e-Payment
For eligibility criteria and other details please log onto www.containerindia.co.in or apccorpa.gov.in or www.tenderindia.com/CCIL. Bidders are requested to visit the websites regularly. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons therefor. For complete details log onto www.tenderindia.com/CCIL.
Executive Director, Area-1, North

PM inaugurates new terminal at Trichy airport

PRIME MINISTER NARENDRA Modi inaugurated a new terminal building at Tiruchirappalli International Airport in Tamil Nadu. Developed at a cost exceeding ₹1,100 crore, the two-level international terminal can accommodate over 4.4 million passengers annually and about 3,500 passengers during peak hours. The state-of-the-art facility aims to enhance passenger convenience.



Prime Minister Narendra Modi during a walkthrough at Tiruchirappalli airport. PTI

ping sectors in Tamil Nadu. PM Modi said that the projects will strengthen Tamil Nadu's progress, emphasising that many of these projects would boost travel and also create thousands of employment opportunities in the state.

Referring to the five new railway projects, Modi said that they will promote industry and electricity generation. The new road projects will connect important centres of faith and tourism like Srirangam, Chidambaram, Rameshwaram and Vellore.

During his visit, the prime minister dedicated and laid the foundation stone of petroleum and natural gas projects worth more than ₹9,000 crore.

— FE BUREAU

businesses, education, health, and tourism. He also noted the improved connectivity to national highways through an elevated road.

He also laid the foundation stone for development projects exceeding ₹20,000 crore in Tiruchirappalli. The projects include sectors such as rail, road, oil and gas, and ship-

Govt hikes windfall tax on crude oil

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 2

THE GOVERNMENT HAS hiked the windfall tax on crude oil produced in the country and cut the levy to nil on exports of diesel and aviation turbine fuel (ATF).

The tax, levied in the form of Special Additional Excise Duty (SAED), on domestically produced crude oil has been raised to ₹2,300 from ₹1,300 per tonne, according to an official notification.

The SAED on the export of diesel has been reduced to nil from ₹0.50 a litre.

The levy on export of jet fuel or ATF has been cut to nil from ₹1 per litre.

SAED on petrol will continue to be zero. The new rates are effective from Tuesday.

India first imposed windfall profit taxes on July 1 2022, joining a growing number of nations that tax supernormal profits of energy companies.

Kerala signs pact with IBM for Kochi hub

THE KERALA GOVERNMENT on Tuesday signed an in-principle agreement with IBM India to start the IT giant's hub in Kochi to make the city a centre for AI-assisted technology.

The state government will host a Global Artificial Intelligence Summit in Kochi in the middle of this year as part of the initiative, industry minister P Rajevee said.

"By becoming the AI hub of IBM, Kochi will see an influx of top technology professionals from across the globe," the minister said, noting that the trend will also imply a reverse migration.

"This will particularly benefit the new generation in IT. Also, it can double the number of IBM staff vis-à-vis the prevailing total," Rajevee said.

— FE BUREAU

FTAs: India may give more than it gets

GTRI debunks notion that new set of pacts will benefit India

MUKESH JAGOTA
New Delhi, January 2

IN THE FREE-TRADE negotiations that India is involved in, it may end up giving up more than what it can gain, trade policy think tank said on Tuesday citing a recent study.

The country may face disappointments in labour-intensive sector, where New Delhi is seeking parity with competitors from the developing world, the Global Trade Research Initiative (GTRI) said.

The two most important free-trade agreements (FTAs) that India is negotiating are with the UK and the European Union (EU). While a little over half of the imports by the two potential FTA partners already attract zero tariffs, for India the corresponding figure is 6%.

Apart from zero duties, the UK and EU also have lower trade weight applied "Most Favoured Duties" of 4.1% as against India's 12.6%. So, when a large part of trade moves to a lower duty regime it would give substantial advantage to exporters from the UK and EU but Indian exporters which even now have to face lower duties in these markets will get a limited benefit.

The experience with Japan, ASEAN and South Korea shows that many Indian firms choose not to use the FTA route when import duties are low, as FTA-

THE TRADE STORY



India refocusing its FTA strategy from east to west

New Delhi is targeting major world economies for FTAs in 2024-25

Negotiations are underway with countries like the UK, USA, EU, Switzerland, Norway, and Russia

By the end of 2024, India may have completed or nearing completion of an FTA with all major economies except China

India had signed three key FTAs with ASEAN, South Korea, and Japan in 2010-2011

related compliance costs do not justify the tariff benefits, the GTRI added.

Larger economies like the USA, Europe, Japan, and the UK to smaller ones like Oman, Peru, and Mauritius either already have or are actively seeking an FTA with India. By forming FTAs with India, they can access the Indian market without import duties on substantial trade.

"Additionally, since India currently does most of its importing (over 75%) from countries it doesn't have FTAs with, these agreements are particularly appealing as they offer a significant new market opportunity in India," GTRI founder Ajay Srivastava said.

The analysis of India's three key FTAs with ASEAN, South Korea, and Japan, signed in 2010-2011 reveals India's merchandise trade deficit with these partners increased significantly more than its global

trade deficit and India's exports to these FTA partners have increased at a lower rate than its imports.

Medium to high technology products constitute 70% of the global trade while 30% is traditional labour intensive sectors. Developed countries charge zero or low import duties on most medium-to-high-technology goods and high duties on shirts and shoes manufactured by developing countries.

When a developing country enters into an FTA with a developed country, the developing country gets preferential access for its shirts and shoes in the developed country. In return, it has to remove duty on most products. The developing country gets additional market access in 30% of products while in contrast, the rich nation would get additional market access in 90% plus the value of products.

आज 100 में से 100 पैसा मजदूरों को मिल रहा : गिरिराज सिंह

जनसत्ता यूरो नई दिल्ली, 2 जनवरी।

मनरेगा के लिए आधार-आधारित भुगतान तंत्र (एबीपीएस) शुरू किए जाने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार की आलोचना पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को पलटवार किया। 100 में से कहा कि वर्तमान समय में मनरेगा के मजदूरों को 100 में से 100 पैसा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय एक रूप में से 15 पंद्रह पैसे ही लोगों तक पहुंच पाता था।

गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं की अच्छे कामों के खिलाफ बोलने की आदत रही है। कांग्रेस के नेताओं ने जनधन खाते खोलने की शुरुआत ही या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना की शुरुआत, इनकी भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कुकर्मों का जाल और लूट की दुकान थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मनरेगा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है।



मनरेगा के मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा, उनके समय में लूट की दुकान था मनरेगा।

उन्होंने कहा कि आधार-आधारित भुगतान तंत्र (एबीपीएस) के लागू होने से मजदूरों को लाभ होगा। अगर कोई मजदूर अपना मोबाइल नंबर बदलता है तो भी उसको भुगतान प्राप्त करने में समस्या नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो गलत तरीके से भुगतान ले रहे हैं, वे व्यवस्था से बाहर होंगे।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 99 फीसद मजदूरों के आधार नंबर को तंत्र में स्थापित किया जा चुका है, जिनका नहीं हुआ है, उसके लिए हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं।

यूको बैंक (यूको बैंक) UCO BANK (A Govt. of India Undertaking) Honours Your Trust

शाखा कार्यालय: 40 सामुदायिक केंद्र, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नारायणा, नई दिल्ली-110028

कच्चा सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत।

जबकि वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002, (2002 का 54) के अंतर्गत यूको बैंक, नारायणा शाखा, नई दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 31.08.2023 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्मचारी श्रीमती राज कुमारी एवं सूरवीर कमल ठाकुर (प्रो. कमल वॉच हाउस) की सभी कानूनी उत्तराधिकारिता**, निवासी प्लॉट नं.538, प्रथम तल, पॉकेट-13, सेक्टर-01, द्वारका, नई दिल्ली-110075, इस पर भी: प्लॉट नं.512, प्रथम तल, पॉकेट-13, सेक्टर-01, द्वारका नई दिल्ली-110075 एवं प्लॉट नं.18, जीएचए एक्सआईसी, भूखण्ड, पॉकेट नं.13, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली को सूचना में उल्लिखित राशि **₹ 9,02,310.56 (नौ लाख दो हजार तीन सौ दस रुपये एवं छपन पैसे मात्र)** और 31.08.2023 से उस पर ब्याज एवं शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्मचारी** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्मचारी तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का **कच्चा 29 दिसम्बर 2023** को ले लिया है। **कर्मचारी** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान्य किया जाता है कि ये सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करे और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **₹ 9,02,310.56 (नौ लाख दो हजार तीन सौ दस रुपये एवं छपन पैसे मात्र)** और उस पर ब्याज के साथ यूको बैंक, नारायणा शाखा, नई दिल्ली के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्मचारी का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छद्मता के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जिसमें फ्लैट नम्बर 512, पहली मंजिल, पॉकेट-13, द्वारका, नई दिल्ली-110075 सह रजिस्ट्रार के अन्तर्।
स्थान: नई दिल्ली तिथि: 29.12.2023 प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

पूतोंतर रेलवे

ई-टैरिफिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, पूतोंतर रेलवे/वाराणसी निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन ई-टैरिफिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री का पूर्ण विवरण, नियम एवं शर्त भारतीय रेल की वेबसाइट www.irps.gov.in पर देखी जा सकती है। क्रम संख्या: 1. ई-निविदा संख्या: 50235939; निविदा खुलने की तिथि: 12.02.2024; सामग्री का विवरण: प्रोफार्मेट ऑफ रेल प्रोफाइल मेजरींग सिस्टम (मिनीप्रोफ) एमपी-262 अंडर एक्सचेंज (मैक ग्रीनउड इजीनियरिंग ए/एस - डेनमार्क, मॉडल: मिनीप्रोफ बीटी एमपी-262) विवरण: मिनीप्रोफ बीटी रेल प्रोफाइल मेजरींग सिस्टम विद्युत इन प्रोफाइल मेजरींग सिस्टम एच डिजिटल गेज डिजिटल सिस्टम अंडर एक्सचेंज (मैक ग्रीनउड इजीनियरिंग ए/एस - डेनमार्क, मॉडल: मिनीप्रोफ बीटी एमपी-262) विवरण: मिनीप्रोफ रेल एमपी-262 मिनीप्रोफ रेल एमपी-262 इनकलड्स i) इन्वेंटरी साफ्टवेयर मॉडल: कोर मेजरमेंट एच एनालायसिस (5 यूजर इनस्टॉलेशन) ii) मिनीप्रोफ कराईटैरिफिंग एच-एक्सचेंज मेजरमेंट मॉडल iii) टेलीकोम्युनिकेशन रॉड iv) एमपी केबल उपम v) एमपी वायरर vi) यूएसबी कीय विद्युत नियंत्रित, क्यूक गाई इटरीसी vii) हाईड्रेंटेटेड ट्रान्सपॉर्ट केस (आईटी66ग्रेड) 2 रिटर्निंग ऑफ ओल्ड मिनीप्रोफ क्लस्टर रेल सिस्टम (यूएसबी वायर फॉर पीडीए) विद्युत ऑल्टरनेटिव डी आर न्यूज इजी डेनमार्क (1 सेट कन्वर्टर/डि डिपॉजिट 1 नं. एमपी-262 एच 1 नं. नॉर्मल पीडीए) एडीशनल एक्सचेंज 3 तीन वर्ग एक्सटेंडेड कारनटी मेन्टेनेंस प्रोग्राम विद्युत एनवेलप 4. लैटेंटिंग विडियो बेस विद्युत प्रोफाइल मिनीप्रोफ एमपी-262 (1 नं. (हाईटी अडवांस 30 माह सामग्री प्राप्त होने की तिथि के बाद से), मॉनी यूडि मॉडल 1 सेट, बयाना राशि: ₹ 74,70,000/-) नोट: इच्छुक सभी सीबीए द्वारा जारी क्लारिफिकेशन/सुझाव/सुझावों के माध्यम से उपरोक्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रार कर सकते हैं। मंजूर ऑफ सहीयारी नहीं है।

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक मुजाफि/एस-115 वाराणसी

दोनों में बीडी/सिमेंटर न पिचें

सार्वजनिक सूचना

केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समग्र कंपनी अधिनियम, 2013 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6)ए के मामले में तथा गुमा एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नका पंजीकृत कार्यालय, 144, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, फरीदाबाद-121003 में है, के मामले में

---आवेदक एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "रा. दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सहमत बनाने के लिए 03.07.2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के लिए के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत वह आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक राशय धरा समर्थित अपनी आपत्ति धरोत्री विवेक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 थिंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्वेषण, पवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा करवाएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

डॉ. गुमा एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्ता- तिथि: 03.07.2023 विजयल मिश्र स्थान: फरीदाबाद तिथि: दिनेशक (DIN: 00317588)

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 2401, जन. विनयेया रोड (कैपिटल), पुणे-411 001
उपभोका वित्त प्रभाग: नई सं. 34, जी. एन. छेड्डी रोड, टी. नगर, चेन्नई - 600 017
राज्य कार्यालय: यूजी 14, 15, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, गोपालपुर बाईपास, जयपुर 302016

अधिग्रहण सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)
जबकि, अधोहस्ताक्षरकों ने मिसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिष्करण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें इसमें उल्लेखित उक्त अधिनियम) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (इसमें इसमें उल्लेखित उक्त अधिनियम) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतरण, एक मांग सूचना निम्न वर्णित उपाकरकर्ताओं/गारंटोरों को निर्मित की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर बकाया राशि का प्रतिभूतिकरण करने का कहा गया था।

उपाकरकर्ताओं/गारंटोरों के अंदर मिसर्स ब्याज के साथ निश्चित उक्त बकाया राशि का प्रतिभूतिकरण करने में असफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा अधोहस्ताक्षरकों को विशेष रूप में और जनसामान्य को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकों ने मांग सूचना निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतरण, यहां इतने निम्न लिखित, का में उपाकरकर्ता/गारंटोरों के नामों के साथ अधिनियमों पर, सार्वजनिक अधिग्रहण कर लिया है। उक्त अधिनियम का कोई भी धारा का लेन-देन उपाकरकर्ताओं के साथ अधिनियमों तथा इन शक्तियों पर पठित अधिनियम, योज. लागू, मुक्तों तथा ब्याज हेतु निम्न इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पूर्व स्वामिनी होगा। अधोहस्ताक्षर का ध्यान, प्रभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	उपाकरकर्ता / गारंटोर का नाम, ऋण अनुबंध सं.	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
1.	उपाकरकर्ता - (1) श्री कृष्ण कुमार द्वारा पीछा राम सह-उपाकरकर्ता: श्री शशीका द्वारा रिष्पाल सह-उपाकरकर्ता: श्रीमती निशा द्वारा मागीथ मल, सह-उपाकरकर्ता: जयदीप विश्वाई द्वारा हनुमान राम ऋण अनुबंध संख्या 1- आरपीओ5424एए, 2- आरपीओ5654एए	28.04.2022 अधिग्रहण तिथि 28.12.2023	₹. 18,40,089.79/- (रुपये अठारह लाख चालीस हजार चत्वारस एव उन्नीस सौ मात्र) 20.04.2022 के अनुसार
2.	उपाकरकर्ता: (1) श्री संतोष हलदर द्वारा सुनील हलदर सह-उपाकरकर्ता: श्री/श्रीमती ममवी हलदर द्वारा संतोष हलदर सह-उपाकरकर्ता: श्री/श्रीमती संतोष हलदर द्वारा सुनील हलदर ऋण अनुबंध संख्या: आरपीओ5464एए	06.07.2023 अधिग्रहण तिथि 28.12.2023	₹. 25,83,765.29/- (रुपये पच्चीस लाख तिरसी हजार सात सौ पचास एवं उन्नीस पैसे मात्र) 30.06.2023 के अनुसार
3.	उपाकरकर्ता: (1) श्री सुशील कुमार द्वारा श्री सह-उपाकरकर्ता: श्रीमती नई कनका द्वारा सुनील चव्वाला सह-उपाकरकर्ता: श्री/श्रीमती/सुशी सात्वना चव्वाला द्वारा वनकाली मेमोरी ऋण अनुबंध सं. आरपीओ5516एए	23.06.2023 अधिग्रहण तिथि 28.12.2023	₹. 17,85,854.84/- (रुपये सत्रह लाख पचासी हजार आठ सौ चौबीस एवं चौरासी पैसे मात्र) 21.06.2023 के अनुसार

बैंककृत संपत्ति का विवरण: मूखंड सं-16 के परिधानी मांग में स्थित भूमि एवं भवन के समस्त मांग तथा अंग जो स्वयं विभाजक विहार-एच, हनुमानपुर, कलवार रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका अधिनियम 100 मांग में स्थित है, जिसका अधिनियम 133.33 वर्ग मीटर है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है: उत्तर: रवेरिय रोड, दक्षिण: मूखंड सं-41 का दक्षिणी भाग, पूर्व: सार्वजनिक सड़क, पश्चिम: मूखंड सं. 40, जो कि उक्त स्थल पर निर्मित भवन के साथ तथा उससे संबद्ध फर्नीचर, फिक्सचर्स के साथ है।

बैंककृत संपत्ति का विवरण: मूखंड सं-41 के उत्तरी भाग पर स्थित भूमि एवं भवन के समस्त मांग तथा अंग, जो स्वयं विभाजक विहार-एच, हनुमानपुर रवेरिय रोड, कलवार रोड, झोटादवा, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका अधिनियम 133.33 वर्ग मीटर है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है: उत्तर: रवेरिय रोड, दक्षिण: मूखंड सं-41 का दक्षिणी भाग, पूर्व: सार्वजनिक सड़क, पश्चिम: मूखंड सं. 40, जो कि उक्त स्थल पर निर्मित भवन के साथ तथा उससे संबद्ध फर्नीचर, फिक्सचर्स के साथ है।

बैंककृत संपत्ति का विवरण: मूखंड सं-41 के उत्तरी भाग पर स्थित भूमि एवं भवन के समस्त मांग तथा अंग, जो स्वयं विभाजक विहार-एच, हनुमानपुर रवेरिय रोड, कलवार रोड, झोटादवा, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका अधिनियम 111.11 वर्ग मीटर है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है: उत्तर: प्लॉट नं-67, दक्षिण: प्लॉट नं-65, पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट नं. 54, जो उक्त स्थल पर निर्मित भवन के साथ तथा उससे संबद्ध फर्नीचर, फिक्सचर्स के साथ है।

दिनांक: 28-12-2023
स्थान: जयपुर

कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

मेगनम वेंचर्स लिमिटेड
सीआईएफ: L21093DL1980PLC010492
पंजीकृत कार्यालय: एएफएनओ-एफएनए 01, हद और ओकर, ई-14, लोअर इंडस्ट्रियल एरिया, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024.
दूरभाष: +91-11-42420015
ई-मेल: info@magnumventures.in
वेबसाइट: www.magnumventures.in

02 / 2023-24 असाधारण आम सभा के नोटिस में शुद्धिपत्र

शुद्धिपत्र कंपनी की 02 / 2023-24 एफएनओ-ऑडिटर जनरल मीटिंग (ईजीएम) की सूचना के लिए 2 जनवरी 2024 के दिनांक को जारी रखते हुए जारी किया जा रहा है। जो सुझावर, 24 जनवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित किया जाना है।

कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नोटिस को कार्यसूची/मद संख्या 1 के संबंध में दिखाई देने वाले सुझावों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार संशोधित व्याख्यात्मक विवरण, जो <https://www.magnumventures.in/assets/pdf/Notices/Corrigendum-to-Notice-of-EGM-2023-24.pdf> पर उपलब्ध है, ध्यान दें।

यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

02 / 2023-24 असाधारण आम सभा के नोटिस की अन्य सभी तथ्य पहले की तरह ही रहेंगे।

नोट के आदेश से मेगनम वेंचर्स लिमिटेड के लिए हस्ता/अभयजन प्रबंध संघालक)

हस्ता/अभयजन तिथि: 02.01.2024 स्थान: गाजियाबाद

एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (ए श्रेड्युल्ड कर्मांतरित बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिखारिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकों एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। वित्तीय परिष्करण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के ऋण खातों के शेर निगमावली आसियों (एन.पी.सी.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारंटोर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किया है, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कचम उठाते हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उरी प्रतिभूतिकरण का कच्चा लेने की शक्ति तथा उक्त प्राधिकृत अधिकारी के साथ 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करता/करते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रवर्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13/2023-24 धारा 4 व 14 के अंतर्गत कच

